मोहन कुमारन नायर

बनाम

विजयकुमारन नायर

11 अक्टूबर 2007

[एस.बी. सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, जे.जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

धारा 20 और 15-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार- क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रश्न उस तारीख के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए जिस दिन मुकदमा दायर किया गया है और उस पर विचार किया गया है, न कि किसी भविष्य की तारीख के संदर्भ में। बाद में प्रतिवादी पक्ष के निवास स्थान में परिवर्तन से न्यायालय को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होगा, जो मुकदमा शुरू होने के समय उसके पास नहीं था।

धारा 115 - अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, विवेकाधीन है - हालाँकि, विवेक का प्रयोग कानून के अनुसार किया जाना चाहिए न कि उसे डी-हॉर्स किया जाना चाहिए।

सिद्धांत-डोमिनस लिटस का सिद्धांत-प्रयोज्यता-चर्चा की गई।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 136-नई याचिका-पार्टी को पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष नई याचिका उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

अपीलकर्ता ने प्रतिवादी से छह लाख रुपये उधार लिए और इस आशय का एक वचन पत्र निष्पादित किया। मौद्रिक लेनदेन सऊदी अरब में हुआ जहां दोनों पक्ष प्रासंगिक समय पर रह रहे थे। प्रतिवादी ने भारत के केरल राज्य में ट्रायल कोर्ट, एटिंगल के समक्ष उक्त राशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। अपीलकर्ता ने क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की कमी के आधार पर मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देते हुए आवेदन दायर किया। लेकिन आवेदन खारिज कर दिया गया. अपीलार्थी ने पुनरीक्षण याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने माना कि यद्यपि ट्रायल कोर्ट के पास मुकदमे की स्थापना की तारीख पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं था, लेकिन उसके बाद अपीलकर्ता उक्त ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थायी रूप से, वास्तव में और स्वेच्छा से निवास कर रहा था, इसलिए यह मुकदमा विचार करने योग्य था। इसलिए वर्तमान अपील जिसमें यह तर्क दिया गया था कि उच्च न्यायालय ने स्वयं माना था कि मुकदमा चलने योग्य नहीं था, वह अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकता था।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए माना:

1. न्यायालय निस्संदेह धारा 115 सीपीसी के संदर्भ में एक विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। हालाँकि, विवेक का प्रयोग कानून के अनुसार किया जाना चाहिए न कि उसे ख़त्म करना चाहिए। [पैरा 5] [29-एफ]

रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड बनाम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अन्य, (2006) 11 स्केल 208, पर निर्भर।

2.1. कोई मुकदमा केवल तभी दायर किया जा सकता है जब कार्रवाई का कोई कारण मौजूद हो और जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ हो। क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रश्न का निर्धारण उस तारीख के संदर्भ में किया जाना आवश्यक है जिस दिन मुकदमा दायर किया गया और उस पर विचार किया गया, न कि किसी भविष्य की तारीख के संदर्भ में। यदि बाद की तारीख में कार्रवाई का कोई कारण उत्पन्न होता है, तो एक नया मुकदमा दायर किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि जो मुकदमा अपनी स्थापना की तारीख पर चलने योग्य नहीं था, जब तक कि उसके लिए कोई असाधारण मामला न बनाया गया हो, उसे वैध माना जा सकता है। विवेक का प्रयोग मनमाने ढंग से या स्वेच्छा से नहीं किया जा सकता। इसका प्रयोग कानून के अनुसार किया जाना

चाहिए। जब कोई क़ानून मौजूद होता है, तो क्षेत्राधिकार के प्रयोग का सवाल ही नहीं उठता जो क़ानून के प्रावधानों के विपरीत होगा।[पैरा 6,8 और 11] [29-जी, एच; 30-ए, जी-एच; 31-ए]

2.2. सीपीसी की धारा 15 और 20 उस स्थान का प्रावधान करती है जहां मुकदमा दायर किया जा सकता है। धारा 15 में कहा गया है कि मुकदमा उसी न्यायालय में दायर किया जाएगा जो मुकदमा चलाने में सक्षम है। धारा 15 और 19 जी को उन स्थानों पर मुकदमा दायर करने को नियंत्रित करती है जहां कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है। धारा 20 धारा 15 से 19 में निहित सीमा के अधीन संचालित होती है। (पैरा 7 और 8] [29-जी; 30-ए-बी]

2.3. वादी *डोमिनस लिटस* है, लेकिन वह केवल सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्दिष्ट एक या अन्य स्थानों पर और सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्दिष्ट एक या अन्य स्थानों पर ही मुकदमा दायर कर सकता है, किसी भी स्थान पर नहीं जहां वह चाहता है। डोमिनस लिटस के सिद्धांत का अनुप्रयोग केवल कार्रवाई के कारण तक ही सीमित है जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 से 18 के अंतर्गत आएगा। ऐसे मामले में इसका कोई उपयोग नहीं होगा जहां इसकी धारा 20 के प्रावधान को लागू करने की मांग की गई है। (पैरा 8 और 12] (30-बी; 31-बी]

न्यू मोगा ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य, एआईआर (2004) एससी 2154 और *जिंदल विजयनगर स्टील (जेएसडब्ल्यू स्टील लिड) बनाम जिंदल प्रैक्सेयर ऑक्सीजन कंपनी लिमिटेड,* (2006) 8 स्केल 668, पर भरोसा किया।

3. इस संबंध में सिविल कोर्ट और रिट कोर्ट द्वारा क्षेत्राधिकार के प्रयोग के बीच एक अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। [पैरा 10] |30-ई]

एम/एस कुसुम इंगोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य, एआईआर (2004) एससी 2321 और *अंबिका इंडस्ट्रीज बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त,* (2007) 8 स्केल 488, पर भरोसा किया।

4. यह तथ्य है कि पार्टियों का निवास भारत में था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि मुकदमा किसी भी स्थान पर दायर किया जा सकता है जहां प्रतिवादी रहता है। तत्कालीन समय में, पार्टियाँ सऊदी अरब में थीं। वे वहीं निवास कर रहे थे। वे उस देश में लाभ के लिए काम कर रहे थे। यह ऐसा मामला भी नहीं है जहां वचन पत्र के तहत राशि का भुगतान भारत में किया जाना था। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि कोई भी मांग केरल राज्य के भीतर की गई थी और प्रतिवादी केरल में उक्त राशि का भुगतान करने के लिए किसी संविदात्मक दायित्व के तहत था जहां मांग की सूचना दी गई है। [पैरा 13] [31-सी-डी]

5. उच्च न्यायालय ने स्वयं माना है कि केरल राज्य में कार्रवाई का कोई भी कारण उत्पन्न नहीं हुआ। प्रतिवादी ने इस न्यायालय के समक्ष उक्त निष्कर्ष पर सवाल उठाते हुए आदेश के उस हिस्से पर सवाल नहीं उठाया है। इसलिए, प्रतिवादी को पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उक्त याचिका उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। [पैरा 14 और 15] (31-ई)

6. प्रतिवादी की ओर से उठाया गया यह तर्क कि वाद कारण का एक हिस्सा ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ क्योंकि अपीलकर्ता ने उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर राशि के भुगतान की प्रतिबद्धता जताई थी, इसे एक से अधिक कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले, क्योंकि उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई विवाद नहीं उठाया गया था। दूसरे, क्योंकि उच्च न्यायालय स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ट्रायल जज के पास मुकदमे पर विचार करने का कोई क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं था। यह ऐसा मामला भी नहीं है जहां याचिकाकर्ता अदालत के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर रह रहा था, जहां मुकदमा शुरू होने के समय प्रतिवादी वास्तव में या स्वेच्छा से निवास कर रहा था या व्यवसाय कर रहा था या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम कर रहा था। वह, भौतिक समय में, सऊदी अरब में रह रहा था। धारा 20,

सीपीसी को लागू करने के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण तारीख मुकदमे की स्थापना की है, न कि निवास के बाद के परिवर्तन की। न्यायालय के निर्णय के बाद निवास बदलने से न्यायालय को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं मिलेगा जो उसके पास नहीं था। (पैरा 16, 17 और 18] (31-एफ-एच; 32-ए-बी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4811/2007

सी.आर.पी. No. 820/2005 में एर्नाकुलम स्थित केरल उच्च न्यायालय के निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 13.03.2006 से।

अपीलकर्ता की ओर से पी.एस. नरसिम्हा, एम. गिरीश कुमार और ख्वायरकपम नोबिन सिंह।

प्रतिवादियों की ओर से हारिस बीरन और राधा श्याम जेना।

न्यायालय एस.बी. सिन्हा, जे. द्वारा निर्णय सुनाया गया।

1. अपील की अनुमति दी गयी।

2. यह है कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी से 6,02,000/- रुपये (केवल छह लाख दो हजार रुपये) की राशि उधार ली थी। उक्त लेनदेन सऊदी अरब में किया गया था। अपीलकर्ता ने दिनांक 8.5.1999 को एक वचन पत्र निष्पादित किया। माना जाता है कि प्रासंगिक समय पर दोनों पक्ष

सऊदी अरब में रह रहे थे। वादकारण का कोई भी हिस्सा अधीनस्थ न्यायाधीश, एटिंगल के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हुआ। प्रतिवादी ने उपरोक्त राशि की वसूली के लिए एटिंगल के अधीनस्थ न्यायालय में मुकदमा दायर किया। हालाँकि दोनों पक्ष सऊदी अरब में रह रहे थे, वादी ने वर्ष 2002 में किसी समय उक्त राशि की वसूली के लिए अधीनस्थ न्यायाधीश, एटिंगल की अदालत में मुकदमा दायर किया। अपीलकर्ता को बुलाया गया, वह मुकदमे में उपस्थित हुआ। उन्होंने, अन्य बातों के अलावा, मुकदमे पर विचार करने के लिए उक्त अदालत की ओर से क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारीता की कमी का मुद्दा उठाया। दिनांक 15.3.2005 के एक आदेश द्वारा, अपीलकर्ता का आवेदन एलडी द्वारा खारिज कर दिया गया था। ट्रायल जज ने अवधारित किया :

> "यह स्वीकार्य तथ्य है कि लेन-देन सऊदी अरब के रियाद में हुआ था जो इस अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। प्रतिवादी के अनुसार चूंकि लेनदेन इस अदालत के अधिकार क्षेत्र से परे हुआ था, इसलिए मुकदमे पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का अभाव है। साथ ही वादी ने यह तर्क दिया कि इस न्यायालय का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है क्योंकि प्रतिवादी इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का निवासी है। धारा

20(ए) सी.पी.सी. के अनुसार प्रत्येक मुकदमा उस न्यायालय में स्थापित किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर प्रतिवादी वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या व्यवसाय करता है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से काम करता है। वादपत्र में दिए गए पते और वादपत्र में दिए गए कथनों से यह देखा जा सकता है कि प्रतिवादी कादिनामकुलम गांव का निवासी है जो इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में है। प्रतिवादी के पास स्वयं कोई तथ्य नहीं है कि वह इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का निवासी नहीं है। ऐसा होने पर इस अदालत के पास मुकदमे पर विचार करने का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है। प्रतिवादी द्वारा उठाया गया इसके विपरीत तर्क किसी भी योग्यता से रहित है और खारिज किए जाने योग्य है। इस प्रकार वाद संख्या 1 वादी के पक्ष में पाया जाता है।"

3. अपीलकर्ता ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष इसके खिलाफ सिविल पुनरीक्षण पेटिशन दायर की, जिसे सीआरपी संख्या ८२०/२०२० के रूप में दर्ज किया गया था। आक्षेपित निर्णय के कारण, उक्त न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने धारा 20 (सी) सिविल प्रक्रिया संहिता के

आधार पर और उक्त प्रावधान का विधायी इतिहास रखने पर, यह राय दी गई:

> "20 इस प्रकार मैं पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के विद्वान वकील से सहमत हूं कि अदालत के पास मुकदमे की तारीख पर मुकदमे पर विचार करने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है। प्रतिवादी को दी जाने वाली राहत की प्रकृति का प्रश्न अब विचार के लिए उठता है। भले ही मुकदमा वापस किया जाना हो, स्वीकृत तथ्यों पर, जिन्हें अब उसी अदालत में प्रस्तुत किया जाना है क्योंकि मुकदमा दायर करने के बाद याचिकाकर्ता/प्रतिवादी स्थायी रूप से, वास्तव में और स्वेच्छा से भारत में रह रहा है। कोई भी और हर त्रुटि अदालत को अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित नहीं करेगी। ऐसे क्षेत्राधिकार का उपयोग केवल न्याय की सहायता के लिए किया जाना चाहिए। मैं इस बात पर ध्यान देता हूं कि दायित्व या वचन पत्र के निष्पादन के बारे में कोई गंभीर विवाद नहीं उठाया गया है। इस बात पर भी कोई गंभीर विवाद नहीं है कि यदि अधिकार क्षेत्र के संबंध में दलील स्वीकार करते हुए वादपत्र वापस कर दिया जाता है, तो इसे उसी अदालत में प्रस्तुत करना होगा

क्योंकि तब तक याचिकाकर्ता ने भारत में स्थायी, वास्तविक और स्वैच्छिक निवास शुरू कर दिया था। इन परिस्थितियों में मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि एटिंगल के अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत द्वारा मुकदमे पर विचार और निपटारा किया जा सकता है और इसे वापस करने का निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है।"

4. इस अपील के समर्थन में अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील नरसिम्हा ने कहा कि उच्च न्यायालय स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मुकदमा चलने योग्य नहीं है, इसलिए वह अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकता था। हालाँकि, उत्तरदाताओं की ओर से हमारे सामने कोई मौखिक तर्क नहीं दिया गया था, लेकिन आक्षेपित निर्णय के समर्थन में एक लिखित दलील दायर की गई है।

5. न्यायालय निस्संदेह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के संदर्भ में विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। हालाँकि, जैसा कि सर्वविदित है, विवेक का प्रयोग कानून के अनुसार किया जाना चाहिए न कि उसे ख़त्म करना चाहिए। देखें *रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड*

बनाम. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अन्य। [2006 (11) स्केल 208]।

6. कोई मुकदमा केवल तभी दायर किया जा सकता है जब कार्रवाई का कोई कारण मौजूद हो और जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ हो।

7. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 और 20 उस स्थान का प्रावधान करती है जहां मुकदमा दायर किया जा सकता है। धारा 15 में कहा गया है कि मुकदमा उसी न्यायालय में दायर किया जाएगा जो मुकदमा चलाने में सक्षम है।

8. क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रश्न का निर्धारण उस तारीख के संदर्भ में किया जाना आवश्यक है जिस दिन मुकदमा दायर किया गया और उस पर विचार किया गया, न कि किसी भविष्य की तारीख के संदर्भ में। धारा 15 और 19 उन स्थानों पर मुकदमा दायर करने को नियंत्रित करते हैं जहां कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है। धारा 20 धारा 15 से 19 में निहित सीमा के अधीन संचालित होती है। प्रतिवादी का निवास स्थान इसके अपवादों में से एक है। वादी *डोमिनस लिटस* है, लेकिन वह सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्दिष्ट केवल एक या अन्य स्थानों पर ही मुकदमा दायर कर सकता है, किसी भी स्थान पर नहीं जहां वह चाहता है।

9. *न्यू मोगा ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य।* [एआईआर 2004 एससी 2154], में इस न्यायालय ने अवधारित किया;

> "१। पार्टियों के इरादे को किसी विशेष न्यायालय के संदर्भ में 'केवल', 'अकेले', 'विशेष' और इसी तरह के अभिव्यक्तियों के उपयोग से पता लगाया जा सकता है। लेकिन न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने का इरादा स्पष्ट, साफ़, पृथक और विशिष्ट शब्दों में प्रतिबिंबित होना चाहिए। ऐसे मामले में केवल अनुबंध की स्वीकृत धारणाएं ही पार्टियों को बाध्य करेंगी। प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह मानना उचित था कि केवल उदयपुर की अदालत को ही मुकदमे की सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।"

10. इस संबंध में सिविल कोर्ट और रिट कोर्ट द्वारा क्षेत्राधिकार के प्रयोग के बीच एक अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। देखे, *कुसुम इंगोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य* [एआईआर 2004 एससी 2321]। *अंबिका इंडस्ट्रीज बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त* [2007 (8) स्केल 488] भी देखें।

11. आमतौर पर, पार्टियों के अधिकारों और दायित्वों को मुकदमा शुरू होने की तारीख के संदर्भ में तय किया जाना चाहिए। देखें -*जिंदल विजयनगर स्टील (जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड) बनाम जिंदल प्रैक्सेयर ऑक्सीजन कंपनी लिमिटेड* [2006(8)स्केल 668]। मुकदमे की श्रवणादिकारिता के संबंध में निर्धारण, इसकी स्थापना की तारीख के संदर्भ में किया जाना चाहिए। यदि बाद की तारीख में कार्रवाई का कोई कारण उत्पन्न होता है, तो एक नया मुकदमा दायर किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि जो मुकदमा अपनी स्थापना की तारीख पर चलने योग्य नहीं था, जब तक कि उसके लिए कोई असाधारण मामला न बनाया गया हो, उसे वैध माना जा सकता है। जैसा कि सर्वविदित है, विवेक का प्रयोग मनमाने ढंग से या मनमर्जी से नहीं किया जा सकता। इसका प्रयोग कानून के अनुसार किया जाना चाहिए। जब कोई क़ानून मौजूद होता है, तो क़ानून के प्रावधानों के विपरीत क्षेत्राधिकार के प्रयोग का सवाल ही नहीं उठता।

12. *डोमिनस लिटस* के सिद्धांत का अनुप्रयोग केवल कार्रवाई के कारण तक ही सीमित है जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 से 18 के अंतर्गत आएगा। ऐसे मामले में इसका कोई उपयोग नहीं होगा जहां इसकी धारा 20 के प्रावधान को लागू करने की मांग की गई है।

13. यह कहना एक बात है कि पार्टियों का निवास भारत में था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि मुकदमा किसी भी स्थान पर दायर किया जा सकता है जहां प्रतिवादी रहता है। तात्कालिक समय में, पार्टियाँ सऊदी अरब में थीं। वे वहीं निवास कर रहे थे। वे उस देश में लाभ के लिए काम कर रहे थे। यह ऐसा मामला भी नहीं है जहां वचन पत्र के तहत राशि का भुगतान भारत में किया जाना था। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि कोई भी मांग केरल राज्य के भीतर की गई थी और प्रतिवादी केरल में उक्त राशि का भुगतान करने के लिए किसी संविदात्मक दायित्व के तहत था जहां मांग की सूचना दी गई है।

14. उच्च न्यायालय ने स्वयं माना है कि केरल राज्य में कार्रवाई का कोई भी कारण उत्पन्न नहीं हुआ। प्रतिवादी ने इस न्यायालय के समक्ष उक्त निष्कर्ष पर सवाल उठाते हुए आदेश के उस हिस्से पर सवाल नहीं उठाया है।

15. इसलिए, हमारी राय में, प्रतिवादी को पहली बार हमारे सामने उक्त याचिका उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

16. प्रतिवादी की ओर से यह तर्क उठाया कियह नहीं माना जा सकता कि वाडकारण का कोई एक कारण ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होता हो, क्योंकि अपीलकर्ता ने उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर

राशि के भुगतान की प्रतिबद्धता जताई हो, इसे एक से अधिक कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सबसे पहला, उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई विवाद नहीं उठाया गया था। दूसरा, क्योंकि उच्च न्यायालय स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विद्वान ट्रायल जज के पास मुकदमे पर विचार करने का कोई क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं था। यह ऐसा मामला भी नहीं है जहां याचिकाकर्ता अदालत के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर रह रहा था, जहां मुकदमा शुरू होने के समय प्रतिवादी वास्तव में या स्वेच्छा से निवास कर रहा था या व्यवसाय कर रहा था या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम कर रहा था।

17. वह, तात्कालिक समय में, सऊदी अरब में रह रहा था।

18. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 को लागू करने के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण तारीख मुकदमे की स्थापना की तारीख है, न कि निवास के बाद के परिवर्तन की। न्यायालय के निर्णय के बाद निवास बदलने से न्यायालय को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं मिलेगा जो उसके पास नहीं था।

19. उपरोक्त कारणों से, आक्षेपित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है, जिसे तदनुसार रद्द कर दिया गया है। अपील स्वीकार की जाती

है. लेकिन, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, कॉस्ट के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नीरज भामू (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।